


4/04/2023 पत्रावली वाले आदेश आज पेश
हुए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अपलोडिंग
किया गया। विद्वान वकील-अध्यायी की वेदम एवं
दस्तावेजों के अपलोडिंग से प्रकरण में प्रथमदृष्टया
सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णता दूर साबित
नहीं होती है। अतः प्राथी का प्रा० पत्र आदेश दि०
112/14/12/22 इसी त्तर पर खारीज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम है। बाद
संक्रमण दावा संतुलन रहे। सुनाया गया।


सहायक जज
बहरोड (अजमेरा) जज